

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 1807/2015 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

तनसिंह बनाम डूंगरराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

प्रार्थी वकील :- श्री जगदीश पोटलिया

विप्रार्थीगण वकील :-

निर्णय

दिनांक - 06.07.17

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत -2017 कैम्प आकोड़ा में पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा डूंगरपुरा, पटवार क्षेत्र सणाऊ, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 433/309 रकबा 07.10 बीघा स्थित है। प्रार्थी के खेत पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा डूंगरपुरा, पटवार क्षेत्र सणाऊ, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 433/309 रकबा 07.10 बीघा भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक चौहटन को 500/- रुपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। मौका कमीश्नर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट आकोड़ा में दिनांक 06.07.2017 सुनाया गया ।

(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2017/ 1889

दिनांक:- 28/7/17

प्रेषित : भू- अभिलेख निरीक्षक
चौहटन

प्रार्थी :-
1.तनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह, जाति राजपूत
निवासी सणाऊ
तहसील राजपूत, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण :-
1.डूंगराराम 2.जोगाराम 3.धर्मराम 4.फूलाराम
5.पुरखाराम पि.देवाराम 6.मंगलाराम पुत्र
रतनाराम, जाति मेगवाल निवासी दूधवा
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।
राजस्व आवेदन सं. 1807/2015 दिनांक : 06-07-17

आदेश

उपरोक्त प्रकरण में आपको सरहद मौजा डूंगरपुरा, पटवार क्षेत्र सणाऊ, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 433/309 रकबा 07.10 बीघा भूमि की नेखम पेमाईश जरिये पत्थरगढी करने हेतु 500/- कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनो पक्षो को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्य पेश करे । मौका कमीशनर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमीशनर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2017/ 1890 to 1894
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार चौहटन
- 2 संबंधित पटवारी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकोर्ड उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
- 3 प्रार्थी तनसिंह
- 4 विप्रार्थीगण डूंगराराम वगैरा
- 5 थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेड़वा/धोरीमन्ना/बाखासर

(आगीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन
दिनांक:- 28/7/17

(आगीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन